



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253201  
CG-DL-E-18032024-253201

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1390]  
No. 1390]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945  
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1456(अ).— केन्द्रीय सरकार तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ड) के साथ पठित, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, निम्नलिखित दिशानिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम जल कृषि इनपुट अनुपालन प्रमाणपत्र दिशानिर्देश है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

जल कृषि इनपुट अनुपालन प्रमाणपत्र दिशानिर्देश

1. अनुपालन प्रमाणपत्र- (1) जल कृषि इनपुट अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, यदि -

(क) यह ऐसे औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगाणुरोधी एजेंट या अन्य सामग्री से मुक्त है जो तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 12 क और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 18 के अधीन प्राधिकरण के आदेश द्वारा निर्दिष्ट मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

(ख) उक्त नियमों के नियम 18 के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों कहा गया है)।

(2) तटीय जल कृषि गतिविधियों में उपलब्ध कराए गए या उपयोग किए गए सभी तटीय जल कृषि इनपुट, प्रमाणीकरण की आवश्यकता से प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से झूट प्राप्त लोगों को छोड़कर, उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (6) के अधीन जारी अनुपालन का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(3) सभी तटीय जलकृषि इनपुट जिन्होंने अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करेंगे और ऐसी तारीख से एक वर्ष के भीतर सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(4) विदेशी जलकृषि इनपुट और जलकृषि उपयोग के लिए अन्य अनुपूरकों के भारतीय विनिर्माताओं और आयातकों या वितरकों दोनों को प्राधिकरण से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

(5) अनुपालन प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा।

(6) अनुपालन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा जो पैरा (8) में निर्दिष्ट तरीके से समान अवधि के लिए नवीकरणीय होगा।

(7) प्रत्येक आवेदन के लिए दस हजार रुपये (10,000/- रुपये) का गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान किया जाएगा।

**2. लेबलिंग मानक -** (1) लेबलिंग पर अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल कृषि इनपुट के पैकेज या कंटेनरों पर लेबल, बिना किसी दोहराव के, उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे, और एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित होंगे वह कंटेनर जिसमें पदार्थ पैक किया जाता है और प्रत्येक अन्य आवरण जिसमें वह कंटेनर पैक किया जाता है।

(2) लेबल स्पष्ट रूप से जल कृषि इनपुट की मूल संरचना, खुराक, बैच संख्या, समाप्ति तारीख और उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को इंगित करेगा, परन्तु कि लेबल में सीमित जानकारी होने की स्थिति में ब्रोशर अनिवार्य होंगे।

(3) लेबल में सामग्री दिखाने वाले हिस्से में सामान्य शब्द जैसे विटामिन, खनिज, आवश्यक पोषक तत्व आदि नहीं होंगे, इसके बजाय, विटामिन, खनिज, आदि के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम का उल्लेख किया जाएगा;

(4) लेबल में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्: -

(क) **जलकृषि इनपुट का नाम:** जल कृषि इनपुट का व्यापार नाम बड़े अक्षरों या प्रमुख फ्रॉन्ट में होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है;

(ख) **सामग्री की शुद्ध मात्रा :**

(i) वजन, माप, मात्रा, सामग्री :इकाइयों की संख्या और गतिविधि की इकाइयों की संख्या, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में शुद्ध सामग्री का सही विवरण दर्शाया जाएगा।

(ii) संकेतित मान मीट्रिक प्रणाली में होंगे;

(ग) अवयवों का नाम और संरचना : जलकृषि इनपुट के सभी प्रमुख अवयवों का वैज्ञानिक नाम अनुमानित सांद्रता, उपयुक्त इकाई में व्यक्त संरचना, जैसा लागू हो, के साथ उल्लिखित किया जाएगा;

(घ) उपयोग के लिए सिफारिशें : लेबल में वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छित लाभ, निर्धारित खुराक और आवेदन की अनुसूची स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी;

#### ड. आवेदन की विधि :

(i) फ्रीड टॉप ड्रेसिंग के रूप में जल कृषि इनपुट के अनुप्रयोग की विधि, पूरे तालाब में प्रसारण या कोई अन्य विधि प्रदान की जाएगी;

(ii) आवेदन से पहले पूर्व-उपचार जैसे, पानी में भिगोना या रात भर किण्वन, यदि कोई हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा;

(iii) लेबल में जगह बचाने के लिए इसे ब्रोशर तक सीमित किया जा सकता है और ऐसे जलकृषि इनपुट के साथ ब्रोशर अनिवार्य है;

(ड) मतभेद (यदि कोई हो) : किसी भी अन्य जल कृषि इनपुट के साथ उपयुक्त नहीं होने वाली या विशेष संस्कृति प्रणालियों, प्रजातियों या विकास चरणों में उपयोग नहीं की जाने वाली जानकारी को लेबल में सचित्र प्रतिनिधित्व के साथ स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

#### (छ) बैच संख्या :

(i) एक विशिष्ट ट्रेस करने योग्य बैच नंबर जिसमें विनिर्माण इकाई में जल कृषि इनपुट का उत्पादन किया गया था, लेबल पर दर्शाया जाएगा;

(ii) ऐसे बैचों और प्रतिधारण नमूने का विवरण पता लगाने के लिए विनिर्माण सुविधा या वितरण इकाई या गोदाम सुविधा पर उपलब्ध होगा;

(iii) बैच नंबर का प्रतिनिधित्व करने वाला आंकड़ा 'बैच नंबर' से पहले लगाया जाएगा;

(ज) आयात किया गया लाइसेंस नंबर (यदि आयात किया जाता है) : आयातित सामग्री और भारत में आयातित और विपणन किए गए संपूर्ण जल कृषि इनपुट के साथ निर्मित जल कृषि इनपुट लेबल, लाइसेंस नंबर या सेनेटरी आयात परमिट नंबर, जहां भी लागू हो, पर अंकित होगा, जिसके अधीन जल कृषि इनपुट है आयातित, पहले 'आयात लाइसेंस नंबर' या सेनेटरी आयात परमिट नंबर जुड़ा होना चाहिए और जल कृषि इनपुट का आयात और विपणन करने वाली कंपनी के संपर्क विवरण का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए;

(झ) निर्माण की तारीख: निर्माण की तारीख महीने और वर्ष के अनुसार होगी;

#### (ञ) समाप्ति की तारीख :

(i) समाप्ति की तारीख महीने और वर्ष के संदर्भ में होगी और इसका मतलब यह होगा कि महीने के आखिरी दिन तक जल कृषि इनपुट की सिफारिश की जाती है।

(ii) समाप्ति की तारीख के पहले 'समाप्ति तारीख' लगाई जाएगी।

(iii) यह आवश्यक है कि, जल कृषि इनपुट के आधार पर महीने और वर्ष के संदर्भ में "बेस्ट बिफोर" दर्शाया जाएगा;

(ट) भंडारण की स्थिति: समाप्ति तारीख तक जल कृषि इनपुट की क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक उचित भंडारण की स्थिति जैसे ठंडी, अंधेरी जगह, सूरज की रोशनी से बचना आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए;

(ठ) 'मानव उपभोग के लिए नहीं' का संकेत: मनुष्यों द्वारा किसी भी संभावित उपभोग से बचने के लिए लेबल में नीचे की पट्टी में बड़े फ्रॉन्ट आकार के साथ 'मानव उपभोग के लिए नहीं' लिखा होना चाहिए;

(ड) 'केवल जलीय जीव के उपयोग के लिए' का संकेत: लेबल पर जलीय जंतुओं की उचित छवि दर्शाने वाला एक प्रतीक होना चाहिए जिसके लिए जल कृषि इनपुट प्रशासित किया जाना है;

(ढ) निर्माता और आयातक का नाम और पता: निर्माता और आयातक का पूरा नाम और पता तटीय जलकृषि प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें स्थान या गांव, तालुक, जिला, राज्य और पिन कोड का नाम शामिल होगा;

(ण) संकेत 'इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं हैं' या 'एंटीबायोटिक्स से मुक्त': लेबल पर नीचे की पट्टी में 'इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं हैं' या 'एंटीबायोटिक्स से मुक्त' लिखा होना चाहिए, जिसमें बड़े फ्रॉन्ट आकार स्पष्ट रूप से एक बॉक्स में अलग रंग के साथ प्रदर्शित होंगे;

(त) प्रमाणीकरण संख्या: उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा छूट प्राप्त लोगों को छोड़कर, भारत में निर्मित या विपणन किए गए प्रत्येक जल कृषि इनपुट को अपने लेबल पर उस जल कृषि इनपुट के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणन संख्या अंकित करनी होगी। मोटे अक्षरों में "सीएए प्रमाणित एक जलकृषि इनपुट" या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई भी जल चिह्न लिखें।

3. प्रमाणन प्रक्रिया. - (1) प्रत्येक जल कृषि इनपुट के लिए अलग-अलग आवेदन उस जल कृषि इनपुट के अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उक्त नियमों के प्ररूप-III में किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण की वेबसाइट - [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त नियमों की अनुसूची-III में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया।

(2) केवल जल कृषि इनपुट और जल कृषि उपयोग के लिए अन्य पूरकों के निर्माता अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, यदि ऐसे जल कृषि इनपुट भारत में निर्मित होते हैं।

(3) केवल जल कृषि इनपुट और जल कृषि उपयोग के लिए अन्य पूरकों के आयातक ही अनुपालन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(4) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ कैलेंडर दिनों के पूरा होने से पहले जमा किए जाएंगे, ऐसा न करने पर आवेदक को सूचित करने और दस रुपये के प्रसंस्करण शुल्क के साथ आवेदन को दोषपूर्ण मानकर बंद कर दिया जाएगा। हजार जब्त कर प्राधिकरण के खाते में जमा करा दिए जाएंगे।

(5) यदि पिछला आवेदन दोषपूर्ण मानकर बंद कर दिया गया है तो आवेदन नये सिरे से प्रस्तुत किया जायेगा।

4. अनुसूची III के अधीन आवश्यक दस्तावेजों का विवरण - (1) निर्माताओं और आयातकों दोनों के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, अर्थात्: -

क. परीक्षण और अंशांकन टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए किसी भी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, उनके मूल यौगिकों और मेटाबोलाइट्स की उपस्थिति के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक महीने से पहले नहीं किए गए परीक्षण के लिए जल कृषि इनपुट की मूल एंटीबायोटिक परीक्षण रिपोर्ट टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री विधि के साथ तरल क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके उक्त एंटीबायोटिक अवशेषों के परीक्षण की गुंजाइश वाली मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी प्रयोगशाला;

ख. निर्माण या आयात के प्रत्येक बैच से प्रत्येक जल कृषि इनपुट के कम से कम 500 ग्राम या 500 मिलीग्राम का प्रतिधारण नमूना ऐसे जल कृषि इनपुट की समाप्ति की अवधि से अधिक की अवधि के लिए विनिर्माण या वितरण इकाई में रखा जाएगा और दस्तावेजी साक्ष्य जैसे स्कैन की गई कॉपी प्रत्येक जल कृषि इनपुट के लिए नमूना प्रतिधारण रिकॉर्ड के नवीनतम पृष्ठ का, जो संग्रहीत नवीनतम नमूने का विवरण और ऐसी भंडारण सुविधा की तस्वीरें दिखाता है और प्ररूप-ड-1 में घोषणा प्रस्तुत करता है।

(2) सभी प्रमाणित जलकृषि इनपुट को उसके प्रमाणीकरण की समाप्ति से पहले कम से कम एक बार प्राधिकरण द्वारा यादृच्छिक परीक्षण के अधीन किया जाएगा;

(3). यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी अन्य पक्ष द्वारा इसकी नकल न की जाए, निर्माता अपनी स्वयं की सील या छेड़छाड़ रोधी तंत्र डिजाइन कर सकता है और नमूना लेते समय जल कृषि इनपुट की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दिए गए आवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा।

(4) भारत में निर्मित जलकृषि इनपुट के मामले में, अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए किसी भी आवेदन के साथ उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए, अर्थात्: -

(क) कंपनी/फर्म का विवरण निम्नानुसार है:-

- (i) कंपनी निगमन प्रमाण (कंपनी के लिए पता प्रमाण);
- (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; और
- (iii) वस्तु एवं सेवा कर प्रमाणपत्र।

(ख) विनिर्माण सुविधा का विवरण निम्नानुसार है:-

- (i) सक्षम प्राधिकारी से विनिर्माण इकाई या कारखाने आदि के रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र;
- (ii) कारखाने के रूप में काम करने का लाइसेंस;
- (iii) किसी भी सुविधा प्रमाणन का प्रमाण;
- (iv) कोई भी प्रक्रिया प्रमाणन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या सर्वोत्तम एक्वाकल्चर प्रैक्टिस या गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस या खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु आदि।

(ग) अन्य दस्तावेज निम्नानुसार हैं:-

- (i) विस्तृत प्रक्रिया फ्लोचार्ट जो उत्पादन में निर्माता द्वारा अपनाई गई इन-प्रोसेस गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में परीक्षण प्रक्रिया से जुड़े चेकपॉइंट्स तक सीमित नहीं होगा;
- (ii) प्रक्रिया प्रमाणन जो एंटीबायोटिक मुक्त उत्पादन या एंटीबायोटिक मुक्त सामग्री के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्ररूप-ड-2 में नोटरीकृत स्व-घोषणा सुनिश्चित करता है;
- (iii) जल कृषि इनपुट और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित इकाई में बनाए गए रिकॉर्ड की सूची;
- (iv) यदि एक्वाकल्चर इनपुट समझौते (3) के अधीन व्यापारी निर्माता के रूप में निर्मित किया जाता है, आवेदक के स्वामित्व वाली सुविधा में नहीं, तो ऐसे समझौते की प्रति प्रस्तुत की जाएगी और ऐसे मामले में, अनुपालन की जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर होगी।

(5) विदेश से आयातित जलकृषि इनपुट के मामले में, अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए, अर्थात्: -

- (i) भारत में आयात करने वाली कंपनी के रजिस्ट्री का प्रमाण जैसे निगमन का प्रमाण पत्र, आयातक लाइसेंस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, माल और सेवा कर, आदि;
- (ii) आयात करते समय जल कृषि इनपुट की एंटीबायोटिक-मुक्त स्थिति दिखाने वाले सक्षम प्राधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र या मूल देश के सक्षम प्राधिकारी से कोई एंटीबायोटिक-मुक्त प्रमाण पत्र और ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में प्ररूप-ड-2 में निर्माता से विधिवत नोटरीकृत घोषणा;
- (iii) आयातित जलकृषि इनपुट पर आयातक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का विवरण या सूची, जिसकी मूल प्रति मांग पर प्रस्तुत की जा सकती है;
- (iv) जल कृषि इनपुट वितरित करने के लिए प्राधिकरण की प्रति या विदेशी प्रमुख निर्माता और भारतीय आयातक के बीच समझौते की प्रति;
- (v) इकाई के भीतर पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं या विदेशी निर्माता से ऐसे किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ विनिर्माण प्रक्रिया चरणबद्ध (फ्लो चार्ट);

- (vi) किसी भी प्रक्रिया प्रमाणन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या सर्वोत्तम एक्वाकल्चर प्रैक्टिस / गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या विदेशी निर्माता से खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु;
- (vii) किसी भी सुविधा प्रमाणीकरण का प्रमाण।

**5. अनुपालन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण.-** (1) उक्त नियमों के प्रारूप -III में आवेदन ऐसे प्रमाण पत्र की समाप्ति से तीन महीने पहले जल कृषि इनपुट के अनुपालन के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दस हजार रुपये (रु. 10,000/-) के गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाएगा, भुगतान या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, उक्त नियमों की अनुसूची-III में निर्दिष्ट निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिया जाएगा, अर्थात्; -

- (i) किसी भी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन (टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन) प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी प्रयोगशाला से एंटीबायोटिक, उनके माता-पिता और मेटाबोलाइट्स की उपस्थिति के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक महीने से पहले किए गए परीक्षण के लिए जल कृषि इनपुट की मूल एंटीबायोटिक परीक्षण रिपोर्ट टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री विधि के साथ तरल क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके उक्त एंटीबायोटिक अवशेषों के परीक्षण की गुंजाइश के साथ;
- (ii) पैरा (5) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में, परिवर्तन के मामले में, यदि कोई हो, संशोधित लेबल और ब्रोशर;
- (iii) प्रारूप -ड-3 में नोटरीकृत स्व-घोषणा।

(2) यदि प्राधिकरण द्वारा आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो सुधार या अतिरिक्त दस्तावेजी आवश्यकताएं ऐसे प्रमाणीकरण की समाप्ति से पहले पैंतालीस कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी, ऐसा न करने पर आवेदन दोषपूर्ण के रूप में बंद कर दिया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क दस हजार रुपये (10,000/-), जब्त कर लिए जाएंगे और आवेदक को सूचित करते हुए प्राधिकरण के खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

(3) इस पैरा की आवश्यकताओं के संतोषजनक अनुपालन पर, प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अनुपालन प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करेगा।

**6. प्रवर्तन तंत्र.-** (1) प्राधिकरण के तकनीकी निदेशक की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति होगी जिसमें निम्नलिखित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (i) उपमंडल या जिला स्तरीय समितियाँ या संबंधित राज्य का मत्स्य पालन विभाग;
- (ii) केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रतिनिधि जो सहायक ओषधि निरीक्षक के पद से नीचे न हो;
- (iii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि;
- (iv) क्षेत्र में किसी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मत्स्य पालन संस्थान से प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, केंद्रीय समुद्री मात्स्यकी पालन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मात्स्यकी पालन शिक्षा संस्थान।

(2) समिति अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों की भंडारण या विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी।

(3) भारत में निर्मित या विपणन किए गए जल कृषि इनपुट की निगरानी के लिए प्राधिकरण द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें प्राधिकरण, जिला स्तरीय समितियों और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(4) प्राधिकरण द्वारा गठित टास्क फोर्स विनिर्माण सुविधा या भंडारण सुविधा, एक्वा दुकानों, फार्म, अंडज उत्पत्ति शाला (हैचरी) इत्यादि से यादृच्छिक रूप से जल कृषि इनपुट नमूने एकत्र करेगा और निर्माता या आयातक कंपनी वह सुविधा जहां से नमूना एकत्र किया जाता है प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए नमूने की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

(5) जलकृषि इनपुट के मामले में, जिसके लिए सील या छेड़छाड़ रोधी तंत्र निर्माता द्वारा घोषित किया गया है, टास्क फोर्स नमूना लेने के दौरान, पैकेजिंग के साथ समामेलित सील या छेड़छाड़ रोधी तंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए इनपुट की पैकेजिंग को खोलेगा जैसा कि आवेदन में उल्लिखित है और परीक्षण के लिए प्रस्तुत करते समय जल कृषि इनपुट की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए नमूनों को टास्क फोर्स की उपस्थिति में सील कर दिया जाएगा।

(6) प्राधिकरण जल कृषि इनपुट के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करेगा।

(7) प्राधिकरण टास्क फोर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति टास्क फोर्स द्वारा एकत्र किए गए नमूनों को प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध और अनुमोदित प्रयोगशालाओं में प्रस्तुत करेगा और प्रयोगशालाएं आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सीधे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगी।

(8) यदि जल कृषि इनपुट लगातार दो वर्षों की अवधि में प्राधिकरण द्वारा किए गए कई परीक्षणों में एंटीबायोटिक-मुक्त स्थिति बनाए रखता है, तो नमूने के संग्रह और परीक्षण की आवृत्ति कम हो जाएगी।

(9) प्राधिकरण एक आदेश द्वारा, टास्क फोर्स की भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए, नमूनाकरण और परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करेगा।

(10) यदि किसी जल कृषि इनपुट का परीक्षण सकारात्मक पाया जाता है या किसी राष्ट्रीय नियामक कार्यक्रम जैसे कि एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना के अधीन टास्क फोर्स या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे जल कृषि इनपुट का प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। जल कृषि इनपुट को प्रमाणित जल कृषि इनपुट की सक्रिय सूची से हटा दिया जाएगा।

(11) प्राधिकरण, ऐसे जल कृषि इनपुट के निर्माता या आयातक से सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान किए गए दंड लगाएगा।

#### प्ररूप -ड-1

[पैरा 4 (1) (ख) देखें]

[100 रु/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होने के लिए]

तारीख:

#### घोषणा

हम - (कंपनी का नाम) यह घोषणा करने का वचन देते हैं कि प्रत्येक मैनुफेक्चरिंग बैच से प्रत्येक जल कृषि इनपुट से कम से कम 500 ग्राम तक का नमूना या 500 मिलीग्राम तक नीचे दिए गए जल कृषि इनपुट के लिए रखा जा रहा है, साथ ही इस जलकृषि इनपुट के संबंध में आवश्यक जानकारी और पर्याप्त सुरक्षा और भंडारण सावधानियों का विवरण भी दिया जाता है जब तक संबन्धित बैच के जल कृषि इनपुट सैंपल की वैधता समाप्त नहीं हो जाती।

क्र.सं.	जलकृषि इनपुट का नाम	प्रतिधारण की अवधि (नमूना लेने की तारीख से)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

हम तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत किए गए सैंपल की लागत को संबन्धित एंड यूसर को प्रतिपूर्ति करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं।

(कंपनी मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

**प्ररूप -ड--2**

[पैरा 4(4)(ग)(ii) और 4(5)(ii) देखें]

[100 रु/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होने के लिए]

तारीख:

**घोषणा**

हम - (कंपनी का नाम) पुष्टि करते हैं कि निम्नलिखित जल कृषि इनपुट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां जल कृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से मुक्त हैं। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि जिस प्रक्रिया से निम्नलिखित जल कृषि इनपुट का निर्माण किया जाता है, उसे किसी भी रूप में किसी भी एंटीबायोटिक को शामिल किए बिना जल कृषि इनपुट का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

क्र.सं.	जलकृषि इनपुट का नाम
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हम तटीय जल कृषि प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, टीम या समिति को कंपनी के भंडारण परिसर या विनिर्माण सुविधा में प्रवेश करने और निरीक्षण करने और किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय जल कृषि इनपुट नमूने एकत्र करने के लिए अधिकृत करते हैं।

(कंपनी मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

**प्ररूप - ड- -3**

[पैरा 5 (1) (iii) देखें]

[100 रु/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होने के लिए]

तारीख:

**घोषणा**

हम - (कंपनी का नाम) पुष्टि करते हैं कि निम्नलिखित जल कृषि इनपुट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां जल कृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से मुक्त हैं। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि जिस प्रक्रिया से निम्नलिखित जल कृषि इनपुट का निर्माण किया जाता है, उसे किसी भी रूप में किसी भी एंटीबायोटिक को शामिल किए बिना जल कृषि इनपुट का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:



क्र.सं.	जलकृषि इनपुट का नाम
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हम घोषणा करते हैं कि प्रमाणीकरण के समय प्रस्तुत किया गया जल कृषि इनपुट की संरचना, नाम, समाप्ति की अवधि, खुराक, आवेदन की विधि और उपर्युक्त जल कृषि इनपुट के अन्य सभी पहलू समान रहेंगे।

(कंपनी मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

**S.O. 1456(E).**— In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (e) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These guidelines may be called the Guidelines for certificate of compliance for aquaculture inputs.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### Guidelines for Certificate of Compliance for Aquaculture Inputs

**1. Certificate of compliance.**- (1) The certificate of compliance for aquaculture inputs shall be issued, if -

(a) it is free from such pharmacologically active substance, antimicrobial agent or other material which may cause harm to human health as specified by an order of the Authority under section 12A of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and rule 18 of Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024;

(b) complies with the standards specified by the Authority under rule 18 of the said rules, (hereinafter referred to as the said rules).

(2) All coastal aquaculture inputs made available or used in coastal aquaculture activities, except those specifically exempted by the Authority from the requirement of certification shall have valid certificate of compliance issued under sub-rule (6) of rule 18 of the said rules..

(3) All coastal aquaculture inputs that have not obtained certificate of compliance, shall submit the application for grant of certificate within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall comply with all requirements within one year from such date.

(4) Both Indian manufacturers and importers or distributors of overseas aquaculture inputs and other supplements for aquaculture use shall obtain a certificate of compliance from the Authority.

(5) A certificate of compliance shall not be transferrable.

(6) The certificate of compliance shall be valid for a period of five years from the date of issue which shall be renewable for a similar period in the manner specified in paragraph (8).

(7) A non-refundable processing fee of ten thousand rupees (Rs. 10,000/-) for each application shall be paid either electronically or in the form of demand draft drawn in favour of the Coastal Aquaculture Authority.

**2. Labelling standards,-** (1) The labels on packages or containers of aquaculture inputs in addition to other statutory requirements on labelling, without any duplication, shall contain particulars specified in sub-paragraph (4), and displayed at a conspicuous position on the container in which the substance is packed and every other covering in which that container is packed.

(2) The labels shall clearly indicate the basic composition of the aquaculture input, dosage, batch number, expiry date and other important details as specified in sub-paragraph (4), provided that brochures shall be mandatory in case the label has limited information.

(3) The portion in the label showing content shall not contain generic terms like, vitamins, minerals, essential nutrients etc., instead, specific scientific name of vitamins, minerals, etc., shall be mentioned;

(4) The label shall contain but not limited to the following particulars, in the following manner namely:-

(a) **name of the aquaculture input:** Trade name of the aquaculture input shall be in capital letters or prominent font as mentioned in the certificate of compliance issued by the Authority;

(b) **net quantity of contents:**

(i) A correct statement of the net content in terms of weight, measure, volume, number of units of contents and number of units of activity, as the case may be, shall be indicated.

(ii) The indicated values shall be in Metric system;

(c) **name and composition of ingredients:** Scientific name of all major ingredients of the aquaculture input shall be mentioned with approximate concentration, composition expressed in appropriate unit, as applicable;

(d) **recommendations for use:** The label shall clearly indicate the intended benefit, prescribed dosage and schedule of application to achieve the desired benefit;

(e) **method of application:**

(i) Method of application of aquaculture input as feed top dressing, broadcasting throughout the pond or any other method shall be provided;

(ii) Pre-treatments like, soaking in water or overnight fermentation, if any before application shall be clearly mentioned;

(iii) This can be limited to brochure to save space in the label and brochure is compulsory with such aquaculture input;

(f) **contraindications (if any):** Information not suitable with any other aquaculture input or not to be used in particular culture systems, species or growth stages shall be clearly indicated with pictorial representation in the label.

(g) **batch number:**

(i) A distinctive traceable batch number in which the aquaculture input was produced at the manufacturing unit shall be indicated on the label;

(ii) The details of such batches and retention sample shall be available at the manufacturing facility or distribution unit or warehouse facility for traceability;

(iii) The figure representing the batch number shall be prefixed with 'Batch No';

(h) **import licence number (if imported):** Aquaculture inputs manufactured with imported ingredients and aquaculture inputs as a whole imported and marketed in India shall bear on the label, the license number or Sanitary Import Permit number, wherever applicable, under which the aquaculture input is imported, prefixed with 'Import License Number' or Sanitary Import Permit number and contact details of the company importing and marketing the aquaculture input shall also be clearly mentioned;

(i) **manufacture date:** The date of manufacture shall be in terms of month and year;

(j) **expiry date:**

(i) The date of expiry shall be in terms of month and year and it shall mean that the aquaculture input is recommended till the last day of the month.

(ii) The date of expiry shall be prefixed with 'Expiry date'.

(iii) It required, "Best Before" in terms of month and year shall be indicated depending on the aquaculture inputs;

(k) **storage conditions:** Appropriate storage conditions like cool, dark place, avoiding from sun light etc., required to maintain the potential of the aquaculture input till the expiry date shall be mentioned clearly;

(l) **indication of 'Not for Human Consumption':** The label shall have 'Not for Human Consumption' in the bottom strip with bigger font size to avoid any possible consumption by humans;

(m) **indication of 'Aquatic Animal Use Only':** The label shall bear a SYMBOL depicting an appropriate image of the aquatic animals for which the aquaculture input is to be administered;

- (n) **name and address of manufacturer and Importer:** Complete name and address of the manufacturer and importer shall be provided as submitted to the Coastal Aquaculture Authority including the name of the place or village, taluk, district, state and the PIN code;
- (o) **Indication ‘Does not contain antibiotics’ or ‘Free from Antibiotics’ :** The label shall have ‘ Does not contain antibiotics’ or ‘Free from Antibiotics’ in the bottom strip with bigger font size conspicuously displayed in a box with distinct colour;
- (p) **certification number:** Every aquaculture input except those exempted by the Authority under sub-rule (3) of rule 18 of the said rules, manufactured or marketed in India shall bear on its label the certification number issued by the Authority for that aquaculture input with a caption in bold letters as “CAA Certified Aquaculture Input” or any water mark as may be specified by the Authority.

**3. Certification process.** – (1) Separate application for each aquaculture input shall be made in Form-III of the said rules for grant of certificate of compliance for that aquaculture input, which may be downloaded from Authority website – [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) and shall be submitted along with all required documents as specified in Schedule-III of the said rules.

(2) Only the manufacturers of aquaculture inputs and other supplements for aquaculture use shall be eligible to apply for the certificate of compliance, if such aquaculture inputs are manufactured in India.

(3) Only the importer of the aquaculture inputs and other supplements for aquaculture use shall be eligible to apply for grant of certificate of compliance.

(4) All documents as required by the Authority shall be submitted before completion of sixty calendar days from the date of receipt of application by the Authority failing which the application shall be closed as defective under intimation to the applicant and the processing fee of rupees ten thousand shall be forfeited and deposited in the Authority’s accounts.

(5) The application shall be submitted afresh, if the earlier application is closed as defective.

**4. Details of documents required under Schedule III,-** (1) The following documents shall be commonly required for both manufacturers and importers, namely: -

(a) antibiotic test report of the aquaculture input in ORIGINAL for test done not earlier than a month from the date of submission of application, for the presence of antibiotics, their parent compounds and metabolites specified by the Authority from any National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Government or private laboratory with a scope for testing said antibiotic residues using Liquid Chromatography with tandem mass spectrometry method;

(b) retention sample of not less than 500 grams or 500 milligram of each aquaculture input from each batch of manufacturing or importing shall be retained at the manufacturing or distribution unit for a period not exceeding the expiry of such aquaculture input and the documentary evidence such as scanned copy of the latest page of the sample retention record for each aquaculture input which shows the details of the latest sample stored and photographs of such storage facility and furnish declaration in Form-E-1.

(2) All the certified aquaculture inputs shall be subjected to a random testing by Authority at least once before the expiry of its certification;

(3). The manufacturer may design their own seal or tamper proof mechanism to ensure the same is not duplicated by any other party and it shall be mentioned in the application to the Authority by the applicant to confirm the genuineness of the aquaculture input while sampling.

(4) In the case of aquaculture inputs manufactured in India, any application for certificate of compliance shall be accompanied with the following documents in addition to those specified in sub-paragraph (1), namely: -

(a) Details of company/firm, as under: -

- (i) company incorporation proof (Address proof for company);
- (ii) Micro, Small and Medium Enterprises; and
- (iii) Goods and Services Tax certificate.

(b) Details of the manufacturing facility, as under:-

- (i) certificate of registration of the manufacturing unit or factory etc., from the competent authority;
- (ii) licence to work as factory;
- (iii) proof of any facility certification;
- (iv) any process certification such as International Organization for Standardization or Best Aquaculture Practices or Good Manufacturing Practice or Hazard Analysis Critical Control Points etc.

(c) other documents, as under:-

- (i) detailed process flowchart which shall be, but not limited to the checkpoints that are linked with testing process as a part of the in-process quality control system adopted by the manufacturer in the production
  - (ii) process certification that ensures antibiotic free production or a notarised self-declaration in Form-E-2 for antibiotic free ingredients as well as production process;
  - (iii) list of records maintained in the unit pertaining to the aquaculture input and production process;
  - (iv) in case the aquaculture input is manufactured under an agreement (3) as merchant manufacturer, in a facility not owned by the applicant, copy of such agreement shall be submitted and in such case, the responsibility of compliances shall be on both the parties.
- (5) In the case of aquaculture inputs imported from abroad, every application for certificate of compliance shall be accompanied with the following documents in addition to those specified in sub-paragraph (1), namely: -
- (i) proof of registration of the importing company in India such as certificate of incorporation, importer licence, Micro, Small and Medium Enterprises, Goods and Services Tax, etc.;
  - (ii) health certificate or veterinary certificate from the competent authority showing antibiotic-free status of the aquaculture input while importing or any antibiotic-free certificate from competent authority of the country of origin and in the absence of such certificate, a duly notarised declaration from the manufacturer in Form-E-2;
  - (iii) details or list of records maintained by the importer on the imported aquaculture inputs, the originals of which may be produced on demand;
  - (iv) copy of authorisation for distributing the aquaculture input or copy of the agreement between the overseas principal manufacturer and Indian importer;
  - (v) manufacturing process stepwise (Flow chart) along with testing procedures followed within the unit or any such relevant document from the overseas manufacturer;
  - (vi) any process certification such as International Organization for Standardization or Best Aquaculture Practices or Good Manufacturing Practice or Hazard Analysis Critical Control Points from the overseas manufacturer;
  - (vii) proof of any facility certification.

**5. Renewal of certificate of compliance .-** (1) Application in Form-III of the said rules shall be submitted for renewal of certificate of compliance for aquaculture inputs three months before the expiry of such certificate with a non-refundable processing fee for ten thousand rupees (Rs. 10,000/-) shall be paid either electronically or in the form of demand draft drawn in favour of the Coastal Aquaculture Authority, along with the following documents as specified in Schedule-III of the said rules, namely:-

- (i) antibiotic test report of the aquaculture input in ORIGINAL for test done not earlier than a month from the date of submission of application, for the presence of antibiotic, their parent and metabolites from any National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Government or private laboratory with a scope for testing said antibiotic residues using Liquid Chromatography with tandem mass spectrometry method;
- (ii) revised labels and brochures, in case of change, if any, in compliance with the requirements specified in paragraph (5);
- (iii) a notarised self-declaration in Form-E-3.

(2) In case any deficiency in the application is observed by the Authority, the rectification or additional documentary requirements shall be submitted within forty-five calendar days before the expiry of such certification failing which the application shall be closed as defective and the processing fee of ten thousand rupees (Rs. 10,000/-) shall be forfeited and deposited with the Authority's account under intimation to the applicant.

(3) Upon satisfactory compliance with the requirements of this paragraph, the Authority shall renew the certificate of compliance within a period of sixty days from the date of receipt of the application by it.

**6. Enforcement mechanism.-** (1) There shall be an inspection committee headed by the Director Technical of the Authority including representatives from the following institutions, namely:-

- (i) Sub Divisional or District Level Committees or Department of Fisheries of State concerned;
- (ii) representative for Central Drugs Standard Control Organisation not below the rank of Assistant Drug Inspector;
- (iii) representative from Marine Products Export Development Authority;
- (iv) representative from any Indian Council of Agriculture Research Fisheries Institute in the region Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Central Marine Fisheries Research Institute and Central Institute of Fisheries Education.

- (2) The committee shall randomly inspect the storage or manufacturing facilities of the manufacturers or importers for conforming the compliance.
- (3) A task force shall be constituted by the Authority including representatives from the Authority, District Level Committees and the Marine Products Export Development Authority, for monitoring of aquaculture inputs manufactured or marketed in India.
- (4) The Task Force constituted by the Authority shall collect aquaculture input samples randomly from manufacturing facility or storage facility, aqua shops, farms, hatcheries, etc. and the manufacturer or importer company shall reimburse the cost of the sample collected by the Authority to the facility from where the sample is collected.
- (5) In case of aquaculture inputs for which the seal or tamper proof mechanism is declared by the manufacturer, the task force shall during sampling, open the packaging of the input for ensuring the intactness of the seal or tamper proof mechanism amalgamated with the packaging as mentioned in the application and samples shall be sealed in the presence of the task force to ensure the genuineness of the aquaculture input at the time of submission for testing.
- (6) The Authority shall empanel laboratories for testing the aquaculture inputs.
- (7) The person representing the Authority the task force shall submit the samples collected by task force to the laboratories empanelled and approved by the Authority and the laboratories shall submit the report to the Authority directly for necessary action.
- (8) The frequency of collection of sample and testing of a aquaculture input shall be reduced if it maintains antibiotic-free status in multiple tests conducted by the Authority over a period of two consecutive years.
- (9) The Authority shall specify by an order, a protocol for sampling and testing, outlining the roles of the task force.
- (10) In case any aquaculture input is tested positive or reported by the task force or any competent authorities under any National Regulatory Programme such as National Residue Control Plan for antibiotic residues, the certificate of such aquaculture input shall stand suspended with immediate effect and such aquaculture input shall be delisted from the active list of certified aquaculture inputs.
- (11) The Authority shall, after providing reasonable opportunities for being heard from manufacturer or importer of such aquaculture input, impose the penalties as provided under section 14 of the said Act.

### Form-E-1

[See paragraph 4 (1) (b)]

[To be printed on Rs. 100/- Non-judicial stamp paper]

**Date:**

### DECLARATION

We – (name of the company) undertake to declare that a sample not less than 500grams or 500miligrams of each aquaculture input from each batch of manufacturing is being retained for the aquaculture inputs listed below with necessary information and adequate safety and storage precautions for maintaining this input, till the expiry of its validity of the respective batch for each aquaculture input sample.

Sl.No.	Name of the aquaculture input	Period of retention (from the date of sampling)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Further, we undertake to reimburse the cost of the samples collected by Coastal Aquaculture Authority to the end user concerned.

(Name of the authorised signatory with company seal)

**Form-E-2**

[See paragraph 4(4) (c) (ii) and 4(5) (ii)]  
 [To be printed on Rs. 100/- Non-judicial stamp paper]

**Date:****DECLARATION**

We – (name of the company) do solemnly affirm that the ingredients used for the manufacturing of the following aquaculture inputs are free from the antibiotics banned for use in aquaculture. We also affirm that the process with which the following aquaculture inputs manufactured are designed to produce the aquaculture inputs without the inclusion of any antibiotic in any form:

Sl.No.	Name of the aquaculture input
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Further, we do authorise the Coastal Aquaculture Authority or any person, team or committee authorised by the Authority to enter and inspect the storage premises or manufacturing facility of the company and to collect aquaculture input samples at any time without any prior notice.

(Name of the authorised signatory with company seal)

**Form-E-3**

[See paragraph 5 (1) (iii)]  
 [To be printed on Rs. 100/- Non-judicial stamp paper]

**Date:****DECLARATION**

We – (name of the company) do solemnly affirm that the ingredients used for the manufacturing of the following aquaculture inputs are free from the antibiotics banned for use in aquaculture. We also affirm that the process with which the following aquaculture inputs manufactured are designed to produce the aquaculture inputs without the inclusion of any antibiotic in any form:

Sl.No.	Name of the aquaculture input
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Further, we declare that the aquaculture input composition, name, period of expiry, dosage, method of application and all other aspect of the above mentioned aquaculture input, furnished at the time of certification remains the same.

(Name of the authorised signatory with company seal)

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.